न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 128/2020

1. शिवराज पुत्र रामप्रताप जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील मांगरोल जिला बारां
2. मूर्ति बाई पुत्री श्री रामप्रताप जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील मांगरोल जिला बारां
3. द्वारक्याबाई पत्नि स्व0 श्री रामप्रताप जाति मीणा निवासी बोरदा तह0 मांगरोल जिला बारां

.......वादीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 वास्ते नाम दुरूस्ती

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री कर्मवीर शर्मा

दायरा दिनांक: 19.11.2020 निर्णय दिनांक : 12.10.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के शामलाती खाते की आराजी ग्राम बोरदा की खाता संख्या 182 खसरा नं0 478 रकबा 1.06 है0, खसरा नं0 494 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 548 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 57 रकबा 2.76 है0, खसरा नं0 57/861 रकबा 0.41 है0, खसरा नं0 682 रकबा 0.28 है0 कुल किता 6 रकबा 5.33 है0 खाता संख्या 164 खसरा नं0 137 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 265 रकबा 0.44 है0, खसरा नं0 266 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 495 रकबा 0.37 है0, खसरा नं0 86 रकबा 2.40 है0, खसरा नं0 90 रकबा 3.88 है0 खसरा नं0 91 रकबा 0.05 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 7.99 है0 स्थित है। खाता संख्या 295 खसरा नं0 90 रकबा 4.26 है0 जिसमें वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में शामलाती दर्ज है। तथा उक्त वर्णित आराजियात में वादीक्रम 1 का नाम शिवचरण पुत्र प्रहलाद वादी कम 2 का नाम मूर्ति बाई पुत्री प्रहलाद वादी कम 3 का नाम द्वारका बाई पत्नि प्रहलाद दर्ज हो रहा है वादी कम 1 के अन्य दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड में वादी कम 1 का नाम शिवराज पुत्र रामप्रताप दर्ज हो रहा है तथा वादी कम 2 व 3 के पिता/पति का नाम रामप्रताप दर्ज हो रहा है। इसलिए वादी कम 1 राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अपना नाम शिवचरण पुत्र प्रहलाद के स्थान पर शिवराज पुत्र रामप्रताप तथा वादी कम 2 व 3 अपने पिता/पति का नाम प्रहलाद के स्थान पर रामप्रताप दर्ज करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी कम 1 का नाम का नाम शिवचरण पुत्र प्रहलाद के स्थान पर शिवराज पुत्र रामप्रताप तथा वादी कम 2 व 3 अपने पिता/पति का नाम प्रहलाद के स्थान पर रामप्रताप दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 19.11.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्र कमांक/भू0अ0/2021/6 दिनांक 11.10.2021 से रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी कम 1 का नाम शिवचरण पुत्र प्रहलाद के स्थान पर शिवराज पुत्र रामप्रताप और वादी कम 2 व 3 के पिता/पति का नाम प्रहलाद के स्थान पर रामप्रताप दर्ज करवाने चाहते है वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम पंचायत किशनपुरा द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि का अवलोकन करने के पश्चात वादी कम 1 का नाम रामप्रताप है ग्राम बोरदा में मजमेआम में वादियों के नाम और उनके पिता/पति के नाम के बारे में पुछताछ करने पर बताया कि शिवराज व शिवचरण दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। अर्थात शिवराज व शिवचरण एक ही शक्स है। इसी प्रकार प्रहलाद और रामप्रताप भी एक ही व्यक्ति के दो नाम है अर्थात प्रहलाद और रामप्रताप दोनो एक ही व्यक्ति है। अतः उक्तानुसार दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो आधार पर ग्राम बोरदा की खाता संख्या 182 खसरा नं0 478 रकबा 1.06 है0, खसरा नं0 494 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 548 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 57 रकबा 2.76 है0, खसरा नं0 57/861 रकबा 0.41 है0, खसरा नं0 682 रकबा 0.28 है0 कुल किता 6 रकबा 5.33 है0 खाता संख्या 164 खसरा नं0 137 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 265 रकबा 0.44 है0, खसरा नं0 266 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 495 रकबा 0.37 है0, खसरा नं0 86 रकबा 2.40 है0, खसरा नं0 90 रकबा 3.88 है0 खसरा नं0 91 रकबा 0.05 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 7.99 है0 स्थित है। खाता संख्या 295 खसरा नं0 90 रकबा 4.26 है0 की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी कम 1 का नाम शिवचरण पुत्र प्रहलाद के स्थान पर शिवचरण उर्फ शिवराज पुत्र रामप्रताप तथा वादी कम 2 व 3 के पिता/पति का नाम प्रहलाद के स्थान पर रामप्रताप दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। यदि वादीगण कम 1 के पुराने नाम व प्रतिवादी कम 2 व 3 के पिता/पति के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादीगण स्वयं जिम्मेवार होंगे। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प किशनपुरा मजमेंआम में सुनाया गया।

(शेत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner